भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2236
15 दिसंबर, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

घटिया खाद्य नमूने

2236. श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान कितने खाद्य नमूनों की जांच की गई और छत्तीसगढ़ सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार कितने नमूने घटिया पाए गए;

(ख) सरकार द्वारा उक्त घटिया खाद्य नमूनों के व्यापार मालिकों के विरुद्ध की गई/की जाने वाली कार्रवाई का छत्तीसगढ़ सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं में जनशक्ति और उपकरणों की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ): खाद्य सुरक्षा एवं मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 के तहत प्रावधानों का कार्यान्वयन और प्रवर्तन प्रमुख रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का कार्य है। हालांकि, राज्य स्तरीय खाद्य प्रयोगशालाओं (एसएफएल) में कार्यबल और उपकरणों की कमी को पूरा करने के लिए, एफएसएसएआई "देश में चल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के प्रावधानों सहित खाद्य परीक्षण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (सॉफटेल)" नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम को कार्यान्वित कर रहा है, जिसके तहत राज्य स्तरीय खाद्य परीक्षण शालाओं (एसएफटीएल) के लिए आधारभूत लैब उपकरणों वाली प्रयोगशालाओं की स्थापना, अत्याधुनिक उपकरणों की स्थापना और अणुजीव विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिए निधियन का प्रावधान किया जाता है। एफएसएसएआई राज्यों को राष्ट्रीय परीक्षण प्रत्यायन बोर्ड और केलीब्रेशन प्रयोगशाला (एनएबीएल) के लिए प्रमाणित संदर्भ सामग्री, उपभोज्य वस्तुएं और संविदागत कार्यबल की तैनाती के लिए अनुदान सहायता भी उपलब्ध कराता है। एफएसएसएआई ने आधारभूत परीक्षण सुविधाओं का विस्तार करने के लिए, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी 'फुड सेफ्टी ऑन व्हील्स' (एफएसडब्ल्यू) नाम से चल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की व्यवस्था की है। वर्ष 2016-17 से 2022-23 की अवधि के दौरान, एफएसएसआई ने हितधारकों (राज्य/एसएफटीएल/संदर्भ प्रयोगशालाएं) को सॉफटेल के तहत कुल 613.67 करोड़ रु की कुल निधि जारी की है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने बताया कि वह देश में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/ उन्नयन में सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत 'खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना' नामक एक स्कीम लागू कर रहा है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर गत तीन वर्षों के दौरान विश्लेषण किए गए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के नमूनों, गैर-अनुरूप पाए गए नमूनों और इस पर की गई कार्रवाई का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-**I**, और अनुलग्नक-**II** और अनुलग्नक-**III** पर दिया गया है।

अनुलग्नक-I

वर्ष 2020-21 के दौरान विश्लेषण किए गए, गैर-अनुरूप पाए गए विभिन्न प्रकार के खाद्य नमूनों और इस संबंध में की गई कार्रवाई का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विश्लेषण किए गए नमूनों की संख्या	गैर-अनुरूप पाए गए नमूनों की कुल संख्या	सिविल मामले		आपराधिक मामले	
				शुरू किए गए मामलों की संख्या	निर्णय लिए गए मामलों की संख्या	शुरू किए गए मामलों की संख्या	निर्णय लिए गए मामलों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	700	0	16	16	0	0
2	आंध्र प्रदेश	2329	383	223	291	31	8
3	अरुणाचल प्रदेश	169	15	1	15	1	0
4	असम	672	109	39	11	2	0
5	बिहार	1224	144	100	55	12	0
6	चंडीगढ़	292	32	42	54	15	0
7	छत्तीसगढ़	834	165	246	163	28	0
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	75	1	11	11	0	0
9	दिल्ली	1509	214	243	30	66	58
10	गोवा	329	31	1	2	0	0
11	गुजरात	13284	1056	899	543	41	11
12	हरियाणा	2596	696	15V	481	103	1
13	हिमाचल प्रदेश	1568	420	204	34	14	5
14	जम्मू और कश्मीर	4094	871	1554	330	32	2
15	झारखंड	581	216	204	54	65	0
16	कर्नाटक	5217	319	151	21	47	4
17	केरल	6971	1020	422	445	274	7
18	लद्दाख	0	0	18	18	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	10886	2162	2228	1896	126	29
21	महाराष्ट्र	4733	874	911	307	795	80
22	मणिपुर	235	19	4	5	0	0
23	मेघालय	48	0	0	0	0	0
24	मिजोरम	23	2	0	0	0	0
25	नगालैंड	60	1	0	0	0	0
26	ओडिशा	1037	272	131	96	33	0
27	पुद्दुचेरी	5	1	22	20	0	0
28	पंजाब	6721	873	966	972	64	7
29	राजस्थान	7343	2054	584	337	56	0
30	सिक्किम	32	0	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	10766	3443	1463	1368	557	235
32	तेलंगाना	894	98	44	22	14	0
33	त्रिपुरा	17	6	0	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	20613	12479	12514	7810	1486	72
35	उत्तराखंड	905	255	285	118	6	0
36	पश्चिम बंगाल	1067	116	18	7	1	1

अनुलग्नक-II

वर्ष 2021-22 के दौरान विश्लेषण किए गए, गैर-अनुरूप पाए गए विभिन्न प्रकार के खाद्य नमूनों और इस संबंध में की गई कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विश्लेषण किए गए नमूनों की संख्या	गैर-अनुरूप पाए गए नमूनों की संख्या		सिविल मामलों का विवरण		आपराधिक मामलों का विवरण	
			पिछले वर्ष उठाए गए नमूनों से, लेकिन इस वर्ष घोषित विश्लेषण रिपोर्ट	इस साल उठाए गए और विश्लेषण किए गए नमूनों से	शुरू किए गए मामलों की संख्या	निर्णय लिए गए	शुरू किए गए मामलों की संख्या	निर्णय लिए गए
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	850	0	4	6	5	0	0
2	आंध्र प्रदेश	5290	5	528	271	484	41	6
3	अरुणाचल प्रदेश	108	1	1	0	0	1	0
4	असम	520	2	64	25	5	3	0
5	बिहार	555	17	0	23	75	9	0
6	चंडीगढ़	388	1	27	95	60	61	1
7	छत्तीसगढ़	1436	20	160	118	90	39	6
8	दादरा नगर हवेली और दमन और दीव	234	0	0	10	7	0	0
9	दिल्ली	1956	5	213	196	89	48	27
10	गोवा	200	0	14	9	2	4	0
11	गुजरात	13663	67	757	626	668	79	14
12	हरियाणा	4235	96	1086	587	78	60	21
13	हिमाचल प्रदेश	1745	14	294	248	249	15	0
14	जम्मू और कश्मीर	8109	240	1495	2244	1931	34	4
15	झारखंड	175	0	85	67	42	15	8
16	कर्नाटक	5844	0	150	147	125	13	0
17	केरल	7855	64	861	599	237	361	10
18	लद्दाख	47	0	19	19	12	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	16059	889	2011	2786	2030	169	72
21	महाराष्ट्र	9580	320	1134	1587	787	272	12
22	मणिपुर	236	0	3	0	1	0	1
23	मेघालय	70	0	5	0	0	0	0
24	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
25	नगालैंड	127	0	14	5	0	0	0
26	ओडिशा	1168	0	260	63	52	43	0
27	पुद्दुचेरी	5	0	2	2	2	0	0
28	पंजाब	6768	0	1059	784	0	63	8
29	राजस्थान	10386	0	2891	1125	626	33	1
30	सिक्किम	66	5	0	4	0	0	0
31	तमिलनाडु	16363	1033	2745	3121	2884	837	360
32	तेलंगाना	3077	0	353	281	77	32	0
33	त्रिपुरा	31	0	0	0	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	21987	5372	7781	13221	8585	2694	118
35	उत्तराखंड	2511	205	355	574	182	13	1
36	पश्चिम बंगाल	2701	67	140	63	52	7	1

अनुलग्नक-III

वर्ष 2022-23 के दौरान विश्लेषण किए गए, गैर-अनुरूप पाए गए विभिन्न प्रकार के खाद्य नमूनों और इस संबंध में की गई कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विश्लेषण किए गए नमूनों की संख्या	वर्ष के दौरान गैर-अनुरूप पाए गए नमूनों की संख्या	सिविल मामलों का विवरण		आपराधिक मामलों का विवरण	
				शुरू किए गए मामलों की संख्या	निर्णय लिए गए मामलों की संख्या	शुरू किए गए मामलों की संख्या	निर्णय लिए गए मामलों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1200	46	51	58	0	0
2	आंध्र प्रदेश	3607	314	562	339	88	12
3	अरुणाचल प्रदेश	258	11	0	0	0	0
4	असम	602	99	35	0	39	0
5	बिहार	2935	92	42	39	9	0
6	चंडीगढ़	473	64	41	27	9	8
7	छत्तीसगढ़	1468	96	152	119	32	8
8	दादरा नगर हवेली और दमन और दीव	164	10	16	13	1	0
9	दिल्ली	3133	255	192	86	62	10
10	गोवा	699	103	11	11	0	0
11	गुजरात	14562	978	2,981	547	48	24
12	हरियाणा	4445	1425	1,333	915	126	35
13	हिमाचल प्रदेश	2720	729	332	93	9	1
14	जम्मू और कश्मीर	13502	1195	1581	1592	20	15
15	झारखंड	943	370	125	44	31	8
16	कर्नाटक	3416	322	239	191	23	15
17	केरल	8533	1362	517	454	346	33
18	लद्दाख	220	6	25	23	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	12507	2092	2,444	1908	166	71
21	महाराष्ट्र	11077	1340	1,384	198	300	5
22	मणिपुर	169	4	0	0	0	0
23	मेघालय	409	41	0	0	0	0
24	मिजोरम	140	0	0	0	0	0
25	नगालैंड	109	6	0	0	0	0
26	ओडिशा	1368	367	145	47	116	0
27	पुद्दुचेरी	0	0	0	0	0	0
28	पंजाब	8179	1724	855	1404	65	5
29	राजस्थान	13184	3965	3,225	2435	189	4
30	सिक्किम	279	0	11	4	0	0
31	तमिलनाडु	24188	7924	4,572	3714	732	678
32	तेलंगाना	4809	894	677	315	84	0
33	त्रिपुरा	31	8	0	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	30140	18108	15,455	13148	2272	251
35	उत्तराखंड	1839	342	561	507	24	5
36	पश्चिम बंगाल	6203	334	532	233	27	0

*****